राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली
जिला - बूंदी

जाति प्रमाण - पत्र

क्रमांक: RJ121/2017/राजस्व विभाग/जाति का प्रमाण-पत्र (अ.जा./अ.ज.जा.) /17045072137
दिनांक:03-07-2017
आवेदक का आधार नम्बर :
आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रोहित मीना पुत्र श्री मोहन लाल मीना गांव/नगर ग्राम काबुल पोस्ट आर सी खेडा तहसील हिण्डोली जिला बूंदी जिला/डिवीज़न बूंदी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान मे 9 MINA (9 मीना) जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप मे मान्यता दी गई है

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री रोहित मीना गांव / नगर ग्राम काबुल पोस्ट आर सी खेडा तहसील हिण्डोली जिला बूंदी जिला / डिवीज़न बूंदी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है।

नोट:

1. यहां प्रयोग **साधारणतः** निवासी का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.एफ 21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई-जी./06-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग की मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात सिर्फ के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या : 170046593168

उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली

Signature valid

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2017.07.03
15:51:01 +05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan

170046593168